

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3-40/2016/18-5
प्रति,

भोपाल दिनांक 9/8/2016

1. कलेक्टर,
जिला-विदिशा
2. सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
विदिशा ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत विदिशा
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका विदिशा ।

विषय :-विदिशा विकास योजना 2011 में उपांतरण बाबत।

राज्य शासन ने विदिशा विकास 2011 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चरपा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।
संलग्न :- यथोपरि

Sejant
(सुप्रिया, पेंडके)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल दिनांक 9/8/2016

पृ0क0-एफ 3-40/2016/18-5
प्रतिलिपि :-

✓ आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

Sejant
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल दिनांक 9/8/2016

संचालनालय	
नगर तथा ग्राम निवेश	1140
आयुक्त क्र.	1218116
दिनांक	16/08/16
शाखा	विदिशा विकास योजना
अधिकारी	T.C
अधिकारी	अयुक्त

लिखकर दें कि पत्र संप्रदान का नहीं है।

DM (S)

19/08/16

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 9/8 /2016

क्रमांक-एफ-3-40/2016/18-5 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट विदिशा विकास योजना 2011 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम गेहूखेड़ी	124, 126/1, 126/2, 126/3, 127	0.199 0.910 0.146 0.209 0.063	कृषि	आवासीय शर्त:- 1.भूमि का आवंटन आश्रय योजना हेतु आवंटित की गई है, उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। 2.प्रश्नाधीन भूमि की पूर्व दिशा में स्थित नाले से मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा।
		योग-	1.527 हे0		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दैनिक समाचार पत्रों

में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(सी के साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
अष्टम

Government of Madhya Pradesh
Urban Development and Housing Department
MANTRALAYA

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 9 / 8 / 2016

No.F-3-40/2016/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, (Sanshodhit) 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Vidisha Development Plan, 2011 as specified in the schedule hereunder, namely :-


SCHEDULE

No.	Village	Khasara No.	Area (In Hec.)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram-Gehukhedi	124, 126/1, 126/2, 126/3, 127	0.199 Hec. 0.910 Hec. 0.146 Hec. 0.209 Hec. 0.063 Hec.	Agriculture	Residential <u>Conditions :-</u> 1. The land has been allotted for Atal Ashraya Scheme, so the use other than the purpose for which it has been allotted shall be prohibited. 2. As per the provisions of M.P. Bhomi Vikas Niyam 2012, it shall be mandatory to left open area from the existing Nallah situated at East side of land in question.
		Total	1.527 Hec.		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Assistant Director, Town and Country Planning, Vidisha as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Housing Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,


(C.K.Sadhav)

Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Development And
Housing Department